राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 1202 / 2004 / भरतपुर

1. सरस्वती बेवा जलसिंह
2. इन्दरसिंह पुत्र जलसिंह
3. किशोरसिंह पुत्र जलसिंह
4. रघुवीरसिंह पुत्र जलसिंह
5. उदयसिंह पुत्र जलसिंह
6. फूलसिंह पुत्र जलसिंह
7. असरफी पुत्री जलसिंह
8. इमरती पुत्री जलसिंह
9. शिवदेई पुत्री जलसिंह
10. सोनदेई पुत्री जलसिंह

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम समराया तहसील बैर जिला भरतपुर

....अपीलांट्स

बनाम

1. मांगी पुत्री विपती
2. जगदीश पुत्र विपती
3. बल्ला पुत्र विपती

जाति जाट निवासी ग्राम समराया तहसील बैर जिला भरतपुर

...रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 25.01.2021

निर्णय

यह द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा अपील संख्या 49 / 2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–3–2004 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण के पूर्वज जलसिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 19मि., 172, 173 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 16

बिस्वा वाके स्थित ग्राम समराया बाबत इस आशय का न्यायालय सहायक कलक्टर वैर में पेश किया कि वादी वादग्रस्त आराजी पर संवत् 2012 के पूर्व ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा लगान भी अदा करता है। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है। राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर रखा है जो खिलाफ मौका व कानून है। राजस्व कर्मचारियों ने वादी का नाम केवल शिकमी काश्तकार ही दर्ज कर रखा है जबकि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज करना चाहिए था। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर 5 तनकियात कायम की एवं पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज कर तथा उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 22–2–2001/16–3–2002 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–3–2004 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–2–2001/16–3–2002 को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने वाद को बखूबी साबित किया था एवं जिसके आधार पर ही विचारण न्यायालय ने विधिवत रूप से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया था। वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जमाबंदी संवत् 2016 से 19 पेश की जिसमें विवादित आराजी पर बकाश्त जलसिंह पुत्र रामहेत शिकमी दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2020 से 23 में भी यही इन्दाज है एवं जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में भी शिकमी दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2039 से 42 में जलसिंह बकाश्त शिकमी 23 साल दर्ज है। लगान की रसीदों व मांग पत्र से भी यह स्पष्ट है कि लगान वादी ही अदा करता आ रहा है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2024 से 2027 में जलसिंह वादी की काश्त है। प्रदर्श–9 जमाबंदी संवत् 2016 से 19 के कॉलम संख्या 4 में जलसिंह की काश्त दर्ज है। अन्य वर्षो में अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि पर काश्त बदस्तूर किया है। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि जलसिंह वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा था। खसरा गिरदावरी संवत्

2012 में कालम सं. 5 में जलसिंह का नाम दर्ज है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। वादी/अपीलांट का 12 वर्ष से अधिक समय से मुखालफाना कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी खातेदारी पाने का अधिकारी है। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपीलांट/वादी के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित न कर आदेश 41 नियम 31 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–3–2004 पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–3–2004 को निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–2–2001/16–3–2002 को बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के संवत् 2012 से ही खातेदार काश्तकार हैं जबकि वादी/अपीलांट संवत् 2012 से आराजी पर काबिज नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं था इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। साक्ष्य खतौनी संवत् 2011 से 14 में वादी/अपीलांट का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है जबकि जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय कब्जे का कोई रेकार्ड अपीलांट ने पेश नहीं किया है। खतौनी संवत् 2044 से 47 में अपीलांट का कोई शिकमी का इन्द्राज नहीं है। शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये यह आवश्यक है कि वह कानून की मंशा के अनुरूप साक्ष्य से अपना क्लेम, कब्जा तथा संवत् 2012 से इन्द्राज स्पष्ट रूप से साबित करे, जिसे वादी/अपीलांट द्वारा साबित नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि जब पूर्व शिकमी जलसिंह फौत हो चुका तो उसका लाभ उसके वारिसान को नहीं मिल सकता है। शिकमी के अधिकार हेरिटेबल नहीं हैं। खातेदारी अधिकारों की घोषणा के दावे में राज्य सरकार एवं खाते में दर्ज समस्त खातेदारों को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाना भी आवश्यक है। साथ ही कोई खातेदार अपनी खातेदारी भूमि को 5 वर्ष से अधिक सबलेट नहीं कर सकता है। वादी/अपीलांट द्वारा अपना वाद साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सिद्ध नहीं किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 पर कानून के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अन्य तनकियों का निर्णय भी तनकी संख्या 1 को आधार मानकर दिया है, जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय था एवं जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी

प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा विधिक स्थिति को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 4–3–2004 पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है एवं जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जावे। उनका कहना है कि वादीगण को अपना दावा निर्विवाद रूप से सिद्ध करना चाहिये जो कि उन्होंने नहीं किया है। इसलिये वाद विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना चाहिये जो कि विचारण न्यायालय ने निरस्त नहीं कर भूल की है जिसे विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 4–3–2004 द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–2–2001/16–3–2002 को निरस्त कर दिया। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न नजीरें प्रस्तुत की :–

(i) 2003 RRD 423
(ii) 1993 RRD 46
(iii) 2008 (2) RRT 1227
(iv) 2010 RRD 605

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने आगे बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थीगण/वादीगण उपकृषक/शिकमी काश्तकार के रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये आये थे तो उन्हें संवत् 2012 की जमाबंदी में प्रविष्ठियॉ बतानी चाहिये थीं लेकिन उन्होंने संवत् 2012 की जमाबंदी ही प्रस्तुत नहीं की है। अतः बिना उचित दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड के दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न नजीरें पेश की :–

(i) 2014 (1) RRT 106
(ii) 2012 (1) RRT 444
(iii) 2014 (1) RRT 86
(iv) 2006 RRT 787

उन्होंने और आगे बहस करते हुये कहा कि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दावा के लिये विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना चाहिये। इस प्रकरण में वादीगण/अपीलार्थीगण के पास कब्जा नहीं होने के कारण दावा पोषणीय नहीं है। इस संबंध में निम्न नजीरें पेश की :–

(i) 2011 (2) RRT 1170
(ii) 1997 RBJ 149
(iii) 1992 RRD 114
(iv) 1990 RRD 425

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कहा कि प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा का भी था और स्थाई निषेधाज्ञा के लिये विवादित भूमि पर कब्जा होना आवश्यक है। बिना कब्जा के स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस संबंध में उन्होंने निम्न नजीरें प्रस्तुत की हैं :–

(i) 2012 RRD 353
(ii) 1995 RRD 760
(iii) 2004 (2) RRT 1086

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का था। अपीलार्थी/वादीगण का कथन है कि वे संवत् 2012 से पूर्व से ही विवादित आराजी पर कब्जे काश्त हैं और संवत् 2016 में अपीलार्थी के पूर्वज जलसिंह का नाम शिकमी के रूप में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार धारा 13, 15, 19, 88 व 89 के अन्तर्गत प्रदान किये जा सकते हैं। इस प्रकरण में वादी अपने आप को शिकमी काश्तकार बताता है। अतः हमें पहले धारा 19 का विश्लेषण करना होगा।
धारा 19 निम्न प्रकार है–

"19. Conferment of rights on certain tenats of khudkasht and sub tenants-

(1) Every person who, at the commencement of this Act-

(a) was entered in the annual registers then current as a tenant of khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or

(b) was not so entered but was a tenant of khudkasht or sub-tenant of land other than grove land.

shall as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereafter in this Chapeter referred to as the appointed date, become, subject to the other provisions contained in this Chapter, the khatedar tenant of such part of the land held by him as does not exceed the minimum area prescribed by the State Government for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 180 or exceeds the maximum area from which such person is liable to ejectment under clause (d) of the said sub-section of the said section and rights in improvements in that part of the said land shall also accrue to such person :

Provided that khatedari rights or rights in improvements shall not so accrue-

(i) if such part of the said land is held from any of the persons enumerated in section 46, or

(ii) if such rights therein may not accrue under the proviso to sub-section (1) of section 15 or under section 15A or under section 15B or under section 16 or

(iii) if such person has, after the commencement of this Act and before the appointed date, ceased to be such tennat of khudkasht or sub-tenant by virtue of lawful surrender of abandonment in accordance with the provisons of this Act or because of his having been ejected in accordance with those provisions by and under the decree or order of a competent revenue court."

उक्त प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के वक्त अर्थात् संवत् 2012 में यदि जमाबंदी में शिकमी दर्ज हो तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। इसके लिये वादी को संवत् 2012 का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा। वादी/अपीलार्थी ने संवत् 2012 की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है। जो जमाबंदी प्रस्तुत की हैं वे संवत् 2016–19 एवं उसके पश्चात की है जिनका विधिक रूप से कोई महत्व नहीं है। वादी/अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्होंने खसरा गिरदावरी संवत् 2012 की प्रस्तुत की है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि खसरा गिरदावरी कोई Record of Rights नहीं है। अतः खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

8. वादीगण/अपीलार्थीगण ने जो लगान की रसीदें प्रस्तुत की हैं उनमें विपति का नाम अंकित है। उनमें खसरा नंबर कहीं भी अंकित नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि वे लगान की रसीदें विवादित आराजी की हैं। इसके अतिरिक्त वे संवत् 2012 की नहीं है। वर्तमान जमाबंदी भी प्रस्तुत नहीं की है जो यह दर्शाती है कि वर्तमान में विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। वर्तमान में अपीलार्थी/वादी का विवादित भूमि पर कब्जा भी नहीं है। PW 1 किशोर सिंह ने अपने बयानों में जिरह में स्वीकार किया है कि वे 'भेज' नहीं भर रहे हैं अर्थात् लगान नहीं जमा करा रहे हैं। उनके पिताजी जमा कराया करते थे। जबकि उनके पिता की मृत्यु लगभग 1992–93 में हो गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। बिना कब्जे के आधार पर उनका यह कथन कि उनका एडवर्स पजेशन चला आ रहा है, सिद्ध नहीं होता है। बिना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः विचारण न्यायालय ने खातेदारी अधिकार प्रदान कर त्रुटि

की है जिसे विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने विधि सम्मत निर्णय पारित कर सही कार्य किया है।

9. अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–3–2004 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–2–2001/16–3–2002 को निरस्त किया है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि कब्जे के अभाव में घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं था इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत 2011(2) आरआरटी 1170 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 88- Suit for declaration- No possession of plaintiff- Suit can not be filed for declatation."

इसके अनुसार कब्जे के अभाव में घोषणा का वाद पेश नहीं किया जा सकता है।

1995 आरआरडी 760 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 88 & 188- Relief of permanent injunction cannot be granted in absence of possession"

2004(2) आरआरटी 1086 में पारित मत निम्नानुसार है–

"No possession of plaintiffs over the land - No relief of permanent injunction could be granted against the appellants."

10. उपरोक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि कब्जे के अभाव में घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में वादी/अपीलांट किसी भी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित नहीं कर पाये हैं। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं था। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर वादी/अपीलांट के वाद को डिक्री करने में गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा विधिक स्थिति को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–3–2004 द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–2–2001/16–3–2002 को निरस्त किया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री से

सहमत है एवं उसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–3–2004 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड भेजा जाये। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य